

कार्यालय, अंचल अधिकारी, छत्तरपुर, (पलामू)।

लेख वाद सं०.....

370/2016-17

का प्रकार :-

बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

तैथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
1.4.24	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के झापांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सह-पठित- श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार का पत्रांक सं०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०-914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०, दिनांक 15.07.2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म.....) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गई। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :- मौजा.....थाना नं०.....खाता सं०.....प्लॉट सं०.....रकबा..... एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म.....अनाबाद बिहार / झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द सं०.....के पृष्ठ सं०.....पर जमाबंदी रैयत.....के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रविवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रविवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर/ सादाहुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाय। अभिलेख, दिनांक.....को उपस्थापित करें। 15.4.24 अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	

15.4.24

अभिलेख उपस्थापित ।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में

प्रमाण पत्र की 15.4.24 परत जमा किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख, दिनांक 30.4.24 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,

छत्तरपुर।

30.4.24

अभिलेख उपस्थापित ।

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा

मौजा नं० 301 खाता सं० 43 प्लॉट सं० 57, 38, 38 रकबा 0.49, 0.49 किस्म 12 खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि

कामकां को भी मिला 36 1153 मिला केनर के काम का है 24/73-74 जे 1/मां 36 36 0.42 150.0 एम मां 1048 न ही है 120/73-74 जे 1/मां 18 325 23

तत्कालिन राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त किए अबैध रूप से मांग कायम किया गया है तथा मांगधारी का उक्त भूमि पर दखल कब्जा अस्पष्ट है। लगान रसीद वर्ष तक निर्गत है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार(झारखण्ड)भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-11 में कायम जमाबंदी सं० को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल रूप में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें। लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,

छत्तरपुर।

अंचल अधिकारी,

छत्तरपुर।

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर मरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - पन्ना, इन्दौर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जम
श्रीमती महती S/O - मन्मोली		301	43	507	0.44	गैरमज (अ) भूमि	जंगल भूमि
गंगा शिंदे				38	0.49		जंगल भूमि
					1.23		

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- ~~हल~~ जंगल भूमि

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- 86-87 में

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मि का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

हजा नहीं है।

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :-

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिवारित, सादा हुकुमनामा :-

हजा नहीं है।

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

हजा नहीं है।

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :- भूदान नं. 120/7374

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/-रुपये से कम या इससे अधिक)

हजा नहीं है।

अवैध जमाबंदी की जाँच किया राजस्व अभिलेख से की ग

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा वापिस रिटर्न से

(ख) अंचल / अनुमंडल में स्थापित बंदोबस्ती पंजी से

(ग) वापिस-व्यापार / भू-हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :-

वापिस पंजी

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व से कायम है :- नहीं

(ख) क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :- नहीं

11. क्या दिनांक-01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत है? :- नहीं

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड -बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :- नहीं

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-
प्रतिवेदन भूमि मंत्री, मजिस्ट्रेट, खाला - 43, खाला - 5, 38 खाला - 1, 23 (क)
अ मांग शोमी भट्टी पिला - गंगा महली के नाम से कायम है। परिवर्तन के
लिए प्राधिकार काल में भूदान केयन - 120/73-74 "दस्तावेज" है।
उक्त भूमि मांग घाटी जैसत की विद्या भूदान 243 कमीटि के द्वारा प्रपत्र
- 5 से प्राप्त है जिसका क्र. 1832-52 है। उक्त भूमि का DCLR/SPD
जारी लाने विचारित नहीं है। प्रतिवेदन भूमि गैरमजकूरमा खाते की
है एवं किस्म-जंगलमाई दर्ज है। प्रतिवेदन में 28 मांग अवैध प्रतीत
होती है। अतः अग्रज करवाउ हेतु समर्पित।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन जाँच प्रतिवेदन का
जाँच किया, नहीं पाया। अतः उपरोक्त जमाबंदी को बंद करने की
अनुशंसा किया जा सकता है।

चल अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता, अनुमंडल पदा., अपर समाहर्ता, उपायुक्त,
छत्तरपुर। छत्तरपुर। छत्तरपुर। पलामू। पलामू।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- श्रीमती महती, पिता-गंगा महती
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या I पृष्ठ सं: 15 पर कायम

मौजा	धाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
<u>मंझौली</u>	<u>301</u>	<u>43</u>	<u>507</u>	<u>0.64</u>
			<u>38</u>	<u>0.49</u>
				<u>1.23</u>

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- 86-87 ई
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- श्रीमती महती, मालिक
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- NA
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :-
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)

नाह मां पंजी 11 ई

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>1</u>	<u>160640</u>	<u>3.7.14</u>	<u>2013-14</u>
<u>2</u>	<u>059781</u>	<u>28.6.16</u>	<u>2016-17</u>

अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

वाद अभिलेख सं० 370 / 2017-18 (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम श्री A. महादेव सिंह, माला, माला

अथ माला, माला, माला

पलामू पलामू

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा माला थाना नं०.....
खाता सं० 46 खेसरा नं० 507 रकबा..... से संबंधित आपके नाम से
ह० नं०..... के पंजी-II भाग के पृष्ठ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
दृष्ट्या राजस्व उपनिरीक्षक ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 06/3/24 को समय 11:00 बजे
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल
प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर
पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशांसा
कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

राम निवृत्त शास्त्री



अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।